परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः–जी–32सीएसी/08–यू0ओ0 43सीएसी/2000–11   दिनांक 16 अप्रैल,2008

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2–समस्त सेवा प्रबन्धक
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
4–समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
5–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषय–उ0प्र0 विधान मण्डल के वर्तमान मा0 सदस्यों को प्रदत्त निःशुल्क यात्रा–सुविधा समाप्त किये जाने के संबंध में।

उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय के उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी, श्री शंकेश्वर त्रिपाठी के पत्रांक 936/वि0स0/1/लेखा–1/2002 दिनॉक 05 मार्च,2008 के द्वारा परिवहन निगम को यह निर्देश प्राप्त हुए है कि उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) अधिनियम–1980 की धारा–13 (1) तथा 13(2) को संशोधित करके उ0प्र0 विधान सभा के वर्तमान मा0 सदस्यों एवं उनके एक सहवर्ती को परिवहन निगम की बसों में प्राप्त निःशुल्क बस पास की सुविधा दिनॉक 11 अगस्त,2005 से समाप्त कर दी गयी है। इस संबंध में यह भी सूच्य है कि उपरोक्त संशोधित अधिनियम के अनुसरण में पन्द्रहवी विधान सभा के वर्तमान मा0 सदस्यों को इस सचिवालय द्वारा बस पास जारी नही किये गये है। अतः उ0प्र0 परिवहन निगम को निःशुल्क बस यात्रा हेतु कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशो का संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक– समसंख्यक एवं समदिनांकित ।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी(अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) को छोड़कर)।
2– निजी सचिव– अध्यक्ष , प्रबन्ध निदेशक , अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय।
3– जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी–कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– समस्त यातायात अधीक्षक /यातायात निरीक्षक , उ0प्र0 परिवहन निगम ।

(अजय सिंह)
प्रधान प्रबन्धक